4Form no-111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

नाथू बनाम कमला

किस्म मुकदमा....दावा.... न0....26/18.... सन

7.2.18	वकील प्रार्थी ने मय प्रार्थना पत्र उपस्थित / पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर हो तलबी प्रतिवादीगण होकर दिनांक 28.2.2018 को पेश हो ।	
28/2/18	पत्रावली पेश हुई / नोटिस जारी होकर दिनांक 4-4-18 को पेश हो।	
4/4/18	पत्रावली पेश हुई / प्रतिवादी के नोटिस पेश किये जारी होकर दिनांक 25-4-18 को पेश हो।	
26/5/18	पत्रावली राज. लोक अदालत कैम्प हाडीकलां मे रखने से आज पेश हुई प्रकरण मे प्रतिवादीगण उपस्थित होकर जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा न 1914 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वादी की है जिसमें वादी का मात्र 1/10 हिस्सा दर्ज है जो हाडीकला मे नही रहता है तथा भूमि पर कब्जा काश्त नही है। वादी की भूमि के पडोस मे ख.नं. ~~1915~~ 1915/ सिवायचक भूमि है जिस पर महात्मा गांधी नरेगा का कार्य चलाया गया था। उस समय उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है। जिसमें स्वयं वादी ने प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया था कि प्रतिवादीगण	

मेरी खातेदारी भूमि 1914 में से मिट्टी नही उठाई है अतः मुझे कोई आपत्ती नही है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की कुछ भूमि की आड़ में सिवायचक भूमि को हडपने की नीति से एवं राज्य सरकार के नरेगा कार्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को रोकने की मंशा से अपने वाद में तथ्य छिपाते हुए वाद पेश किया गया है। अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। वाद में वादी द्वारा वर्तमान में प्रतिवादीगण लोक प्रशासक है। प्रस्तुत वाद में वादी ने वाद पेश करने से पहले 80 CPC का नोटिस पेश नही किया है। तथा वादी ने तथ्य छिपाते हुए वाद पेश किया है अतः प्रकरण सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।